प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्टट परिशिष्ट 'बयासी '

प्रश्न सं. [क. 4164]

SURLINE ZEO JENNO AIFF MINNE HAIRD ZI ELLI LIKE ELLIS AL # 4 82 (5412) 03.63.2016

> मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय

क्रमांक () 6.80 / एफ-7-02/2015/तेरह प्रति,

मोपाल, दिन**्रि** 2 DEC 2015

प्रबंध संचालक, भ.प्र. पूर्व / मध्य / पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।

विषय:-- सूखे के कारण 50 प्रतिशत से अधिक प्रमावित फसलों वाले किसानों के बिजली बिलों, के भुगतान के आस्थागन बाबत्।

प्रदेश में सूखे के कारण निर्मित स्थिति के दृष्टिगत, राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि जिन किसानों की 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, वहां जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणित सूची दिये जाने .पर, इन किसानों के स्थाई कृषि पंप कनेक्शन के अक्टूबर, 2015 में जारी छः माही बिलों राथा 30 सितम्बर, 2015 की स्थिति में बकाया राशि की वसूली छं: माह के लिए आरथित (Deferred) रखते हुए, उन्हें बिजली बिल भुगतान से 31 मार्च 2016 तक छूट दी जाए। इन कृषकों से 1 अक्टूबर, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि का कोई सरवार्ज भी नहीं लिया जाए।

इन किसानों से वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम छः माही बिलिंग चक्र में :--

(क) अप्रैल, 2016 में देय छः माही बिल,

(ख) अक्टूबर, 2015 का आस्थिगत बिल और ·

(ग) 30 सितम्बर, 2015 तक की अवधि की यदि कोई बकाया राशि हो, तो उसे शामिल करते

सापूर्ण बिल की राशि अप्रैल, 2016 के बिल में ली जाए। उक्तानुसार प्रभावित किसानों के बिलों की आस्थगन अवधि का सरचार्ज नहीं लिया जाए।

इन प्रभावित किसानों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणित सूची जारी की जाएगी। प्रमाणित रभूची कृषक के विद्युत कनेक्शन नंबर आंदि की जानकारी दर्शाते हुए विद्युत वितरण कंपनी के संबंधित अधीक्षण अभियंता को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रमावित किसान के क्नेक्शन को चिन्हित करने में कठिनाई नहीं आए एवं उन्हें शासन के निर्णय का पूर्ण लाभ मिल सके। कृषकों के विद्युत कनेक्शन के संबंध में प्रमाणित सूची का प्रारूप प्रपत्र-1 पर संलग्न है। कृपया अपने अधीनस्थ संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियता (सचा./ संधा.) को उक्तं सूची जिला कलेक्टर से तत्काल प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जाए। तत्सबंध में की गयी कार्यवाही से विभाग को तीन दिवस में अवगत कराया जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी म.प्र.शासन, कर्जा विभाग मोपाल,दिनांक :

क्रमांक प्रतिलिपि :- /2015/तेरह/

(i) प्रबंध संचालक, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

कलेक्टर जिला। कृषकों के विद्युत कनेक्शन के संबंध में प्रमाणित सूची का प्रारूप प्रपन्न-1 पर संलग्न है, जिसके अनुसार विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता (संचा. एवं संधा.) को प्रशाबित किसानों के कृषि पंपों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

> विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

조(2 <u>)</u> 기대 관한 1711년 - 1	बिजली बिल का सर्विस	क्रमाक	0					विशेष कर्मकाष्य जायकाश म. प्र. शास्त्र, कार्या विशाप मेत्रास्त्र, जोपास
जिन किसानों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति हुई' है उनके स्थाई पण्डा की साति हु	विकासखंड / तहसील विद्युत वितरण कार्न्स का	3 4						अनुविता अधिकारी म.प्र. शासन, कञ्जा थिथान, मंत्रात्मय, थोपाल
जिन किसानों की 50 प्रतिशत से अधिक	i	2						अनुधार अनुधारम म.प्र. शासन, मंत्रालय